

उल्लंघन पत्र

रजि.ए .डी.



भारत सरकार
खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर
दूसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स,
पोस्ट-विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005, फोन- 0771-2282530 /2285590 /95
मेल- ro.raipur.ibm@gmail.com



No. CHG/BST/LST/38CHG01010

Mine code:38CHG01010

Date: 15.02.2017

प्रेषिति: सर्वश्री नेहा स्टोन,
प्रो. श्रीमती स्वाति गर्ग,
मकान न. 118 एवं 119, सन सिटि,
लाल बाग, पोस्ट जगदलपुर,
जिला बस्तर, छत्तिसगढ़ 494 001

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित आपकी Badanji Limestone Mine (1.62 Ha) , में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में-

महोदय,

1) आपकी खान का निरीक्षण दिनांक 01/11/17 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 26 (2)	A yearly report as per the format specified by Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out has not been submitted for the year 2016-17
Rule 45 (5)(b)	A monthly return which shall be submitted before the tenth day of every month in respect of the preceding month in electronic form along with a signed print copy of the same has not been submitted
Rule 45(5) (c)	While scrutiny of the annual return 2016-17, It is observed that Ex -Mine price is less than cost of production which needs to be corrected and no information about Mining engineer.

2) इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अंतर्गत

(क) खदान की सारी संक्रियाएं बन्द की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।

3) अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से **45 (पैंतालिस)** दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(आर. एन. मिश्र)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- 1 खान नियंत्रक (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो , नागपुर
- 2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो